अति तत्काल
फैक्स/विशेष संदेशवाहक द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं. **437**/पांड./**6/2004** दिनांक : **1** मई, 2004

सेवा में

महासचिव,
एआईएडीएमके,
पांडिचेरी

कारण बताओ नोटिस

यत:, चौदहवीं लोक सभा गठित करने के लिए साधारण निर्वाचन इस समय प्रगति पर है और **1**-पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में **1**-पांडिचेरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन इस समय प्रगति पर है; तथा

2. यत:, उक्त साधारण निर्वाचनों के लिए अनुसूची की उद्घोषणा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा **29** फरवरी, 2004 को की गई और उसके बाद उसी तारीख को प्रेस नोट जारी किया गया; और

3. यत:, **भारत संघ बनाम हरबंस सिंह जलाल एवं अन्य (1997** का एस एल पी सं. **22724** तारीख **26.4.2001** से निर्णय लिया गया**)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अब निर्णायक रूप से समाधान कर दिया गया है कि राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों के लिए आदर्श आचार संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अनुसूची की उद्घोषणा की तारीख से लागू हो जाती है तथा तदनुसार, उपर्युक्त तारीख **29** फरवरी, 2004 के प्रेस नोट के पैरा **16** में कहा गया था कि संयुक्त प्रेस नोट के तहत उद्घोषित यथोक्त साधारण निर्वाचन के संबंध में आदर्श आचार संहिता **29** फरवरी, 2004 से ही लागू हो जाएगी; और

4. यत:, आदर्श आचार संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ विशिष्ट रूप से यह कहा गया है कि यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों या किन्हीं अन्य सुविधाओं के उपयोग के लिए अनुमति या लाइसेंस प्राप्त किया जाना है तो दल या कोई अभ्यर्थी समय रहते संबंधित प्राधिकारी को आवेदन करे और ऐसी अनुमति या लाइसेंस प्राप्त करेगा; और

5. यत:, भारत निर्वाचन आयोग ने भारत के संविधान के अधीन अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आदर्श आचार संहिता का सभी सत्तासीन राजनैतिक दलों द्वारा निष्ठापूवर्क पालन किया जाए ताकि निर्वाचन मैदान में सभी राजनैतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो सके, निर्वाचनों के संचालन को विनियमित करने हेतु निदेश एवं अनुदेश जारी किए; और

6. यत:, भारत निर्वाचन आयोग अपने तारीख **23** मार्च, 2001 के पत्र सं. **3/10/2001**/जे एस-।। के तहत अन्य बातों के साथ-साथ यह निदेश दिया कि :

(i) राजनैतिक दलों एवं उनके समर्थकों का कोई कट-आउट्स, झंडे – होर्डिंग नहीं होंगे।

(ii) लागू स्थानीय कानून के अनुसार, सार्वजनिक एवं प्राइवेट दिवारों पर नारे लिखने, पोस्टर, प्रचार सामग्री आदि लगाने के मामले को सख्ती से प्रवर्तित किया जाएगा; और

7. यत:, भारत निर्वाचन आयोग ने तारीख **5.1.1994** और **28.1.1994** के पत्र सं. **3/7/94**/जे एस.।।, तारीख **30.3.1994** के पत्र सं. **3/7/94**/जे एस.।।/खण्ड-।।, तारीख **16.5.1994**, 26.9.1994 और **7.3.1994** के पत्र सं.

3/7/94/जे एस-।।/खंड-IV के तहत सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति का विरूपण रोकने के लिए व्यापक निदेश जारी किए हैं; और

8. यत:, निर्वाचन आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पांडिचेरी द्वारा सूचित किया गया है कि निर्वाचनों की उद्घोषणा के बाद 1-पांडिचेरी निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने निदेश दिया था कि सभी दल और अभ्यर्थी संपत्ति के विरूपण के संबंध में आयोग के अनुदेशों का अनुपालन करें और राजनैतिक दलों को 9.3.2004 तक सभी कट-आउट्स, बैनरो, होर्डिंग्स एवं आपत्तिजनक विरूपणों को हटाने के लिए और ऐसे सभी क्रियाकलापों से निष्ठापूर्वक दूर रहने, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण एवं अपराध है, यथा मतदाताओं को दल के हित को आगे बढ़ाने के लिए घूस देना, के बारे में विशेष रूप से सूचित किया गया, और

9. यत:, रिटर्निंग ऑफिसर ने आगे और सूचित किया है कि तिरु ए. एनबालागन, ए आई ए डी एम के के विधायक ने तारीख 29.3.2004 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए झंडे, बैनर लगाने हेतु अनुमति के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, पांडिचेरी निर्वाचन क्षेत्र से अनुरोध किया था और रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा तारीख 30/3/2004 के पत्र सं. 7/आर ओ-पी पी सी/2004 के तहत अनुमति से इंकार किया गया था, जिसकी सूचना व्यक्ति विशेष को तारीख 1/4/2001 को दे दी गई थी और कि इसी बीच, तिरु एनबालागन ने तारीख 27.3.2004 को लोक निर्माण विभाग से ऐसी ही अनुमति मांगी थी और कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभाग, लोक निर्माण विभाग द्वारा कानागाचीटिकूलम से कानियाकोनी तक पूर्वी तटीय सड़क एवं एन एच 45 ए पर बैनर आदि लगाने के लिए 2.4.2004 को अनुमति प्रदान कर दी गई और कि जब यह ध्यान में लाया गया तो रिटर्निंग ऑफिसर, पांडिचेरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने मुख्य अभियंता को इस आदेश को रद्द करने के लिए निदेश दिया और रद्द किए जाने संबंधी आदेश तिरु एनबालागन, विधायक को तारीख 6.4.2004 को तामील करा दिया गया था और कि इसके अतिरिक्त, तिरु नटराजन, पूर्व विधायक (एआईएडीएमके) ने लोक निर्माण विभाग से अनुमति मांगी थी और उन्हें अनुमति प्रदान नहीं की गई थी; और

10. तिरु एनबालागन और तिरु नटराजन कट-आउट्स, बैनर, झंडे आदि लगाने, सार्वजनिक संपत्ति को विरुपित करने के कार्य को आगे बढ़ाया और कि ऐसी ये क्रियाकलाप तारीख 6/4/2004 की रात्रि के दौरान शुरू किए गए और तारीख 7/4/2004 के अगले सुबह तक पूरा किए गए, विरूपण को रोकने के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए जा सके; और

11. यत:, तारीख 7/4/2004 की सुबह में, उप कलेक्टर, राजस्व (उत्तर) एवं (दक्षिण) को निदेश दिया गया कि वह लोक निर्माण विभाग, स्थानीय निकायों एवं पुलिस कर्मियों की सहायता से विरूपणों को हटवाए और कि ए आई ए डी एम के काडरों के कड़े विरोध के कारण केवल कुछ विरूपणों को ही हटाया जा सका; और

12. यत: निर्वाचन आयोग को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पांडिचेरी द्वारा सूचित किया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर सह जिला कलेक्ट्रेट ने तिरु एनबालागन, विधायक और पांडिचेरी के संयोजक को तारीख 16/4/2004 को कारण बताओ नोटिस जारी किया और कि उन्होंने इसकी तामील से मना किया और कि इसे तारीख 17/4/2004 को पावती सहित रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से उन्हें भेजा गया और तारीख 19/4/2004 को उन्हें प्राप्त हुआ और कि तारीख 20/4/2004 को उत्तर में उन्होंने उत्तर के लिए एक सप्ताह का समय मांगा और रिटर्निंग ऑफिसर ने उत्तर दिए जाने के लिए तारीख 23/4/2004 को अपराह्न 3.00 बजे तक का समय दिया, और

13. यत: रिटर्निंग ऑफिसर के कारण बताओ नोटिस के उत्तर में तिरु एनबालागन ने निम्नलिखित आपत्तियां उठाई थीं :-

(i) रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस गलत आशय से दिया गया है और इसमें राजनैतिक बदला लिया जाना प्रदर्शित होता है।

(ii) उत्तर के लिए दिया गया समय कम है।

(iii) निर्वाचन आयोग का ऐसा कोई अनुदेश नहीं है जो सड़क के किनारे झंडे आदि लगाने से प्रतिषिद्ध करता हो और इस संबंध में कोई विशिष्ट विधियां नहीं हैं।

(iv) लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई अनुमति को रद्द करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया क्योंकि अनुमति रद्द किए जाने से पूर्व व्यक्ति विशेष को कोई अवसर नहीं दिया गया और यह कि रद्द किए जाने का कार्य अंतिम समय में किया गया जब तक दल ने अनुमति के आधार पर आवश्यक इंतजाम कर लिए थे।

(v) व्यक्ति विशेष को उस तारीख तक लोक निर्माण विभाग से निरसन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(vi) निरसन आदेश की सुपुर्दगी/तामील अनुचित थी क्योंकि साधारण खंड अधिनियम, 1897 में डाक द्वारा न कि व्यक्तिगत रूप में तामील/सुपुर्दगी अपेक्षित है।

(vii) कारण बताओ नोटिस में आदर्श आचार संहिता के किसी विशिष्ट खंड में उल्लंघन किए जाने का उल्लेख नहीं है।

(viii) रिटर्निंग ऑफिसर दल के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई के बारे में भारत निर्वाचन आयोग को सिफारिश देने के लिए विशिष्ट रूप से न तो अधिकृत है और न हीं उसे ऐसा कोई अधिकार है।

(ix) सार्वजनिक संपत्ति के विरुपण के लिए दल के विरूद्ध नौ मामले विपक्षी दलों की मिथ्या शिकायतों के आधार पर पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं और एक ही घटना के लिए दो कार्रवाइयां विधि में "दोहरे संकट" माने जाते हैं।

(x) व्यक्ति विशेष और दल अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित करने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस बारे में रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित रखना लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों की जिम्मेदारी है।

14. यत:, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पांडिचेरी, रिटर्निंग ऑफिसर पांडिचेरी की रिपोर्टों और तिरु एनबालागन, विधायक, एआईएडीएमके के उत्तर को ध्यान में लेने के बाद, निर्वाचन आयोग की राय है कि तिरु एनबालागन, विधायक, एआईडीएमके और एआईडीएमके के अन्य व्यक्तियों ने मामले में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा दिए गए विधिसम्मत निदेशों के पूरे उल्लंघन में पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में कट आउट्स, बैनर, झंडे आदि लगाकर, सार्वजनिक संपत्ति को विरुपित करके जान-बूझकर आदर्श आचार संहिता और उस सुसंगत समय पर लागू निर्वाचन आयोग के विधिसम्मत निदेश का उल्लंघन किया; और

15. यत:, निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा **16**क में निम्नलिखित उपबंध किया गया है :-

"**16**क **आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन अथवा विधिसम्मत दिशानिर्देशों एवं आयोग के अनुदेशों के अनुपालन में विफल रहने के कारण मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल की मान्यता को खत्म करने या वापस लेने की आयोग की शक्ति** –

इस आदेश में किसी भी बात के होते हुए भी, यदि आयोग का अपने पास उपलब्ध सूचना से समाधान हो जाता है कि एक राजनैतिक दल जिसे इस आदेश के उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय अथवा राज्यीय राजनैतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, वह (क) जनवरी **1991** में आयोग द्वारा जारी अथवा समय समय पर यथा संशोधित राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के मार्ग दर्शन हेतु आर्दश आचार संहिता के अनुपालन (ख) स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचनों के संचालन के दृष्टिगत समय समय पर आयोग द्वारा दिए गए विधिसम्मत दिशानिर्देशों के अथवा आम जनता और विशेष रूप से निर्वाचकों के हितों के लिए किए गए रक्षोपायों को अपनाने में विफल रहा है, या उनको अपनाने से मना करता है अथवा अपने आचरण द्वारा अवज्ञा करता है तो आयोग मामले से संबंधित सभी उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा दल से विरूद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में दल को कारण बताने का उपयुक्त अवसर प्रदान करते हुए, आयोग ऐसी शर्तों, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, के अध्यधीन ऐसे दल की राष्ट्रीय दल या राज्यीय दल, जैसा भी मामला हो, के रूप में उसकी मान्यता को समाप्त कर सकता है अथवा वापस ले सकता है।" .....; और

16. यत:, उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनजर, आयोग की प्रथम दृष्टया राय है कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के उक्त पैरा **16**क के उपबंध, आदर्श आचार संहिता के भारत निर्वाचन आयोग के विधिसम्मत निदेशों का जानबूझकर किए गए उल्लंघन के वर्तमान मामले में पूरी तरह लागू होते हैं।

17. अब, इसलिए, एआईएडीएमके, जो पांडिचेरी राज्य में उक्त निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 1968 के उपबंधों के अधीन एक मान्यताप्राप्त राज्य दल है, से एतद्वारा अपेक्षा की जाती है कि वह इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात दिवसों की अवधि के भीतर यह कारण बताए कि क्यों नहीं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए, आदर्श आचार संहिता और आयोग के विधिसम्मत अनुदेशों के यथोक्त उल्लंघन के लिए पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में उसकी राज्य दल के रूप में मान्यता को निलंबित की जाए या वापस ले ली जाए।

18. ध्यान रखें कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर आपकी ओर से कोई प्रत्युत्तर नहीं प्राप्त होने की स्थिति में, यह माना जाएगा कि आपको इस मामले में कुछ नहीं कहना है और निर्वाचन आयोग आपसे कोई पत्राचार किए बिना इस मामले में उपयुक्त कार्रवाई करेगा या निर्णय लेगा।

आदेश द्वारा,

(तपस कुमार)

सचिव